



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H 04423/C-2/वायु-165/KnpDehol/23

दिनांक

Date18-12-23

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of response of UPPCB in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 20.11.2023 in Original Application No. 483/2023 Nayab & Ors. Vs State of U.P. and Others.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 20.11.2023 in Original Application No. 483/2023 Nayab & Ors. Vs State of U.P. and Others, the response of UPPCB and status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Uttar Pradesh Pollution Control Board Response in compliance of order dated 20.11.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No. 483/2023 Nayab & Ors. Vs State of U.P. and Others.

1. That it is submitted that in above stated matter Hon'ble NGT, New Delhi in OA No.- 483/2023 Nayab & Ors. Vs. State of Uttar Pradesh passed an order dated 04.08.2023 to constituted a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Kannauj and directed the committee to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent.
2. That in compliance of above direction, the Joint Committee has filed its report on 04.09.2023. After taking cognisance of the report of Joint Committee, Hon'ble NGT has passed the order dated 20.11.2023. The operative part of the order is reproduced as below :

..... 2. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to seek response thereto from (1) State of Uttar Pradesh, through District Magistrate, Kannauj, (2) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary and (3) M/s. H.M. ENT Bhatta-project proponent who are impleaded as respondents no. 1 to 3. Memo of parties be prepared and attached with the application accordingly.....

3. That it is submitted that as per the Report dated 04.09.2023 of Joint Committee, M/s H.M Brick kiln Village- Makhaipur, Post-Kusumkhor, District Kannauj does not meet siting criteria as per Uttar Pradesh Brick Kiln (siting criteria for establishment) Rule-2012. Brick Kiln was found non-operational on the day of inspection by Joint Committee. Brick Kiln M/s H.M Brick kiln was established without obtaining prior CTE from U.P. Pollution Control Board and was operated without prior CTO from U.P. Pollution Control Board.

4. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board has already issued closure order vide letter dated 29.09.2022 against the Brick Kiln M/s H.M Brick kiln Village- Makhaipur, Post-Kusumkhor, District Kannauj. The copy of the closure order dated 29.09.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1**
5. That in compliance of Hon'ble NGT order dated 20.11.2023, the joint committee of UPPCB and District Administration has sealed the brick kiln M/s H.M Brick kiln Village- Makhaipur, Post-Kusumkhor, District Kannauj on 30.11.2023 and seal was handed over to Inspector In-charge Kannauj. That U.P. Pollution Control Board has also sent a letter dated 01.12.2023 to Thana Incharge, Kotwali Kannauj, Mining officer Kannauj to assure no mining/brick manufacturing work is done by the unit at this site. The copy of the letter dated 01.12.2023 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-2**
6. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board has also imposed Environmental Compensation of Rs 16,43,750/- against the Brick Kiln M/s H.M Brick kiln Village- Makhaipur, Post-Kusumkhor, District Kannauj for the illegal operation of the unit vide letter dated 15.12.2023. The copy of the letter dated 15.12.2023 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3**

Therefore, the response of the UPPCB is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Dated : 18-12-2023

Yours' Sincerely



(Ajay Kumar Sharma)

Member Secretary

Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow



15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-1

पंढर सं०
Ref. No

482546 /सी-2/वायु-165/बन्दी आदेश/22

दिनांक
Date

29/09/22

पंजीकृत

सेवा में,

मै० एच०एम० ईट भट्टा,
ग्राम-मखाईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, तहसील-कन्नौज
जनपद-कन्नौज।

यह कि मैसर्स एच०एम० ईट भट्टा, ग्राम-मखाईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, तहसील व जनपद-कन्नौज जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानसार उक्त ईट भट्टा उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप स्थापित नहीं है एवं ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु जल/वायु अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति आदेश प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 14.02.2022 का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस प्रकार ईट भट्टे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स एच०एम० ईट भट्टा, ग्राम-मखाईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, तहसील व जनपद-कन्नौज में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, कन्नौज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टा को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, कन्नौज को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु प्रेषित।
4. अधिशासी अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, कन्नौज को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Rahul



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
200, एन०एच०-19, रनिगा, कानपुर देहात-200304



पत्रांक 98/IB/M-14/2023

दिनांक- 01/12/2023

सोया मे,

धानाघाट,
कोतवाली-कन्नौज।

महत्वपूर्ण/मा० एन०जी०टी०/
मा० उच्च न्यायालय प्रकरण/ई-मेल द्वारा

विषय-मै० एच०एम० ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के प्रमादी अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 456/81-6-2023, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न यादों में पारित आदेशों के अनुपालन में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/ 2014-टी०सी०-1, दिनांक 15.03.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा की जा रही है तथा यह निर्णय लिया गया है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के प्रमादी क्रियान्वयन व अनुपालन यथासंभव सुनिश्चित किया जाये।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विद्यमान ओ०ए० संख्या-483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में पूर्व में गठित समिति उपजिलाधिकारी, कन्नौज एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात के नामित सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से मै० एच०एम० ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज की बन्दी/सील की कार्यवाही की गयी (छायाप्रति संलग्न)।

ईट भट्टा मै० एच०एम० ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज की, की गयी बन्दी/सीलिंग के दृष्टिगत किसी भी दशा में उक्त ईट भट्टे का संचालन निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(आशुतोष पाण्डेय)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी/समिति के सदस्य, कन्नौज को मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)/(वृत्त-0) एवं मुख्य विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. खनन अधिकारी, कन्नौज को मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मै० एच०एम० ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज को ईट पथाई/खनन कार्य रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



17

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-3

संदर्भ सं०

Ref. No. H04280/सी-2/वायु-165/23

दिनांक

Date 15/12/23.....

सेवा में,

मेसर्स एच0एम0 ईट भट्टा,
ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर,
जनपद- कन्नौज।

पंजीकृत

विषय- मेसर्स एच0एम0 ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स एच0एम0 ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्यानसार ईट भट्टा उद्योग उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप स्थापित नहीं होने एवं ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त न किये जाने के कारण राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 29.09.2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 08.12.2023 के अनुसार निरीक्षण दिनांक 30.11.2023 को ईट भट्टा बंद पाया गया। ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि ईट भट्टा अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया है एवं ईट भट्टे का संचालन दिनांक 21.06.2022 से बंद कर दिया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जो कि निम्नानुसार है:-

Therefore EC = PI x N x R x S x LF

where PI= Pollution Index of Industrial Sector (For Orange category=50), N= No. of days of violation, R= A Factor in Rupees for penalty (250), S= Factor of scale of operation i.e large/medium/small (For small=0.5), LF=Location factor (for Population up to 1 million is 1.0) के आधार पर आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,250/- प्रतिदिन आती है।

Therefore EC = PI x N x R x S x LF

= 50x263x250x0.5x1.0 = 16,43,750/-

उपरोक्तानुसार ईट उद्योग पर दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 21.06.2022 तक कुल 263 डिफाल्टर दिनों हेतु रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से रू0 16,43,750/- (रू0 सोलह लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ईट उद्योग मेसर्स एच0एम0 ईट भट्टा, ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर, जनपद-कन्नौज पर रू0 16,43,750/- (रू0 सोलह लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

BMW